03/04/2017 पत्रावली आज्ञा। वकील विपक्षी/प्रार्थी उपस्थित।

प्रार्थी/विपक्षी अवयस्क पुत्रगण आपसी सहमति से उनके विरुद्ध अभिभावक एवं संरक्षक की जारी है वकील विपक्षी/प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली सुनी गयी। प्रा०प० के तथ्यों में कानूनी रूप 'सांगमित' किन्तु निर्णीत होने से प्र० सं० 146/2001 नि०दि० 24/5/13 निरंजनलाल बनाम देवेन्द्रचन्द्र वाद में प्रदत्त कांसेन्ट सलेम को पुनः [illegible] लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सुरक्षित गया पत्रावली [illegible] हुआ नम्बर से काम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:55:16 IST
Reason: SelfAttested